चतुर्थ अध्याय–लेखाओं तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता

4.1 प्रस्तावना

एक प्रभावी आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली तथा प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना की उपलब्धता राज्य शासन द्वारा एक कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है । वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों के अनुपालन के साथ–साथ अनुपालन की स्थिति पर प्रतिवेदन की गुणवत्ता, अच्छे प्रशासन के लक्ष्यों में से एक है । यदि अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो वे राज्य शासन को मूलभूत जिम्मेदारियों को निभाने में, जिसमें योजना की रणनीति एवं निर्णय लेने की क्षमता सम्मिलित है, सहायक होता है। यह अध्याय लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य शासन द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

4.2 उपयोगिता प्रमाणपत्रों की देयता में विलंब

छत्तीसगढ़ वित्तीय नियमावली मे निहित नियम संख्या 182 निर्धारित करता है कि जब सहायता अनुदान किसी विशेष प्रयोजन हेतु प्रदाय किया जाता है, विभागीय आधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहितों से उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प)प्राप्त करना चाहिए तथा सत्यापन उपरान्त, यह सुनिश्चित करने हेतु कि अनुदान का उपयोग चाही गई प्रयोजन के लिये हुआ है, इसे अगले वर्ष 30 सितम्बर या उससे पहले महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा नमूना जाँच में पाया गया कि 31 मार्च 2020 तक कुल ₹3,770.86 करोड़ लागत की कुल 256 उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया थी, जिसमें 15 विभागों में प्राप्त सहायता अनुदान के विरूद्ध वर्ष 2008–09 से 2018–19 तक के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे। विभिन्न विभागों को प्राप्त सहायता अनुदानों के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्रों की आयु–वार स्थिति **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: आयु–वार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति

(₹करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		वृद्धि		निस्तारण		प्रस्तुतिकरण के लिये लंबित	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2017–18 तक	1,407	5,016.79	299	2,318.51	1,389	4,921.89	317	2,413.41
2018–19	317	2,413.41	257	4,651.19	40	45.26	534	7,019.33
2019–20	534	7,019.33	305*	5,042.69*	278	3,248.47	256	3,770.86

* वर्ष 2019–20 के दौरान दिये गये अनुदान वर्ष 2020–21 मे देय होंगे।

विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं के लिये विभिन्न विभागों द्वारा विगत वर्षों में कुल ₹3,770.86 करोड़ व्यय किये गये एवं विभागों द्वारा यह राशि का व्यय किस प्रकार किया गया इसका कोई भी विवरण नहीं दी गयी जो चिंता का विषय है, चूंकि यह राशि लोक निधि से संबन्धित है तथा व्यय किये गये राशि से निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया है इसकी कोई आश्वासन भी नहीं है।

लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या एवं राशि की आयु–वार विवरण **तालिका 4.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रों की वर्षवार विच्छेदित स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि
2008–09	01	0.01
2009–10	02	0.99
2010–11	00	0.00
2011–12	00	0.00
2012–13	15	21.86
2013–14	14	25.39
2014–15	00	0.00
2015–16	00	0.00
2016–17	00	0.00
2017–18	45	229.20
2018–19	179	3,493.41
योग	**256**	**3,770.86**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित आंकड़े

विगत वर्ष 2008–09 से मुहैया कराई गई निधि की व्यय से संबन्धित जबावदेही के अभाव में, निधियों के दुरूपयोग की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है । **तालिका 4.2** से यह स्पष्ट है की कुल बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की 87.50 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाणपत्र विगत दो वर्षों जो कि वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 से संबंधित है । वर्ष 2018–19 तक दिये गये अनुदानों की विभागवार बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की विच्छेदित जानकारी **परिशिष्ट 4.1** के माध्यम से दर्शाया गया है । पॉच मुख्य विभागों की कुल बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति **चार्ट 4.1** के माध्यम से दर्शाया गया है ।

चार्ट 4.1: पाँच मुख्य विभागों की वर्ष 2018–19 तक दिये गये अनुदानों के बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

(₹ करोड़ में)

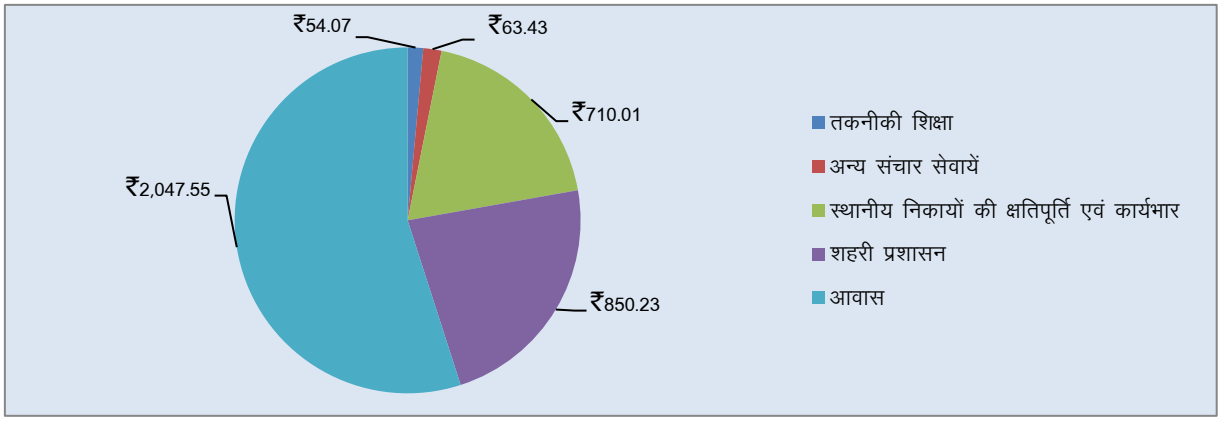

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित आंकड़े

विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त सहायता अनुदान के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र की अप्राप्ति विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानों की उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत करने संबंधी नियम एवं कार्यप्रणाली के अनुपालन में विफलता को दर्शाता है। बड़ी संख्या में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र, निधियों के दुर्विनियोजन एवं गबन के जोखिम को दर्शाता है।

4.2.1: सहायता अनुदानों की राशि को शासकीय लेखों से बाहर रखना ।

केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा राज्य योजनाओं की क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन राज्य/ज़िला स्तरीय संस्थानों/स्वायत निकायों एवं प्राधिकरणों/समाजों/गैर–सरकारी संस्थानों

इत्यादि को अनुदान के रूप में निधि प्रदान करती है । वर्ष 2019–20 के दौरान ₹22,268.35 करोड़[1] की राशि राज्य शासन द्वारा विभिन्न क्रियान्वयन संस्थानों को राज्य योजना/कार्य/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु दिया गया। चूंकि क्रियान्वयन संस्थानों द्वारा वित्तिय वर्ष में निधियों को पूर्ण रूप से व्यय नहीं किया गया तथा पर्याप्त राशि बिना व्यय किये इन क्रियान्वयन संस्थानों के बैंक खाते में रखे गये थे ।

क्रियान्वयन संस्थानों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सहायता अनुदानों कि उपयोगिता एवं बैंक खातों मे व्यय नहीं किये गये राशि का विवरण **तालिका 4.3** में दर्शाया गया है ।

तालिका 4.3 : सहायता अनुदानों की राशि को शासकीय लेखों से बाहर रखना ।

(₹करोड़ में)

क्र.सं	क्रियान्वयन संस्थानों के नाम	वर्ष 2019–20 के दौरान कुल प्राप्त सहायता अनुदान	वर्ष 2019–20 के दौरान कुल व्यय	बैंक खातों में रखी गयी राशि
1.	जिला पंचायत, धमतरी	59.60	57.95	1.65
2.	नगर पालिका परिषद, सारंगढ़	16.48	14.18	2.30
3.	मुख्य कार्यपालिका अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद	117.07	111.19	5.88
4.	राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (अमृत योजना)	311.01	275.81	35.20
5.	राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (डे नुल्म)	**45.00**	**18.14**	**8.86**
6.	जिला पंचायत, बिलासपुर	174.45	160.51	13.94
7.	जिला पंचायत, रायपुर	182.88	148.34	34.54
8.	नगर पालिका परिषद, कटघोरा	4.19	1.57	2.62
9.	जिला पंचायत, फारसगांव	5.41	4.88	0.53
10.	सी0एच0आई0पी0एस0 (चिप्स)	1.50	0.00	1.50
11.	आई0आई0आई0टी0, रायपुर	25.00	22.44	2.56
12.	नगर पालिका परिषद, चांपा	20.86	16.86	4.01
13.	नगर पंचायत, बेमेतरा	1.37	0.61	0.76
14.	नगर पंचायत, पल्लारी	6.98	6.10	0.88
15.	सिक्क्ल सेल संस्थान, रायपुर	5.25	2.74	2.51
16.	सिक्क्ल सेल प्रोजक्ट, रायपुर	1.25	0.59	0.66
17.	आयुष विज्ञान विश्वविद्यालय	5.0	4.73	0.27
18.	नगर पंचायत, कुनरा, रायपुर	8.65	6.88	1.76
19.	छत्तीसगढ़ वन विकास निगम, रायपुर	1.0	0.60	0.40
20.	मानवाधिकार आयोग, छत्तीसगढ़	2.92	2.49	0.43
21.	निदेशालय, शहरी प्रशासन एवं विकास, दुर्ग	4.60	1.90	2.70
22.	जिला पंचायत, बिजापुर	78.57	45.31	33.26
23	नगर पंचायत, डोंगरगांव	1.15	0.10	1.05
24.	नगर पंचायत, पुषौर	6.14	5.87	0.27
25.	नगर पंचायत, पंडरिया	11.24	9.54	1.70
26.	नगर पंचायत, खरौद	4.43	3.15	1.28
27.	नगर पंचायत, बोदरी	7.58	4.47	3.11
28.	नगर पालिका परिषद, कुम्हारी	19.31	15.42	3.89
29.	एन0आर0एच0एम0, रायपुर	1,194.84	1,149.38	45.46
30	श्री बी0आर0कश्यप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, जगदलपुर	5.80	5.31	0.49
कुल		**2,329.53**	**2,097.06**	**214.47**

स्रोतः विभिन्न क्रियान्वयन संस्थानों से प्राप्त जानकारी

सहायता अनुदानों के अनुपयोगिता अथवा अल्प उपयोगिता के कारण, उन उद्देश्यों कि पूर्ति असफल रही, जिनके लिये यह सहायता अनुदान जारी किये गये थे ।

[1] सहायता अनुदान पर व्यय ₹20,328.74 करोड़ तथा पूजीगत संपत्ती के निर्माण हेतु सहायता अनुदान ₹1,939.61 करोड

4.3 लंबित विस्तृत आकस्मिक देयक

छत्तीसगढ़ वित्तीय नियमावली के नियम 327 के अंतर्गत आहरण और संवितरण अधिकारियों को सीमित उद्देश्य के लिये वाउचर के बिना संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के द्वारा राशि निकासी का अधिकार है । तत्पश्चात विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) देयकों (अंतिम व्यय के समर्थन में व्हाउचर) को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को, जिस माह में यह राशि निकाली गयी है उसके अगले माह के 25 तारीख तक सौंप देनी है ।

31 मार्च 2020 को, छत्तीसगढ़ शासन के 18 विभागों ने 315 संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरूद्ध में ₹201.59 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक देयकों कों जमा नहीं किया है । वर्ष 2019–20 तक जमा नहीं किये गये विस्तृत आकस्मिक देयकों की विभाग–वार जानकारी **परिशिष्ट 4.2** में दिया गया है। पॉच प्रमुख विभागों के जमा नहीं किये गये विस्तृत आकस्मिक देयकों से सम्बंधित स्थिति **चार्ट 4.2** में दिया गया है ।

चार्ट 4.2 : पाँच प्रमुख विभागों जो विस्तृत आकस्मिक देयक जमा नहीं किये

(₹ करोड़ में)

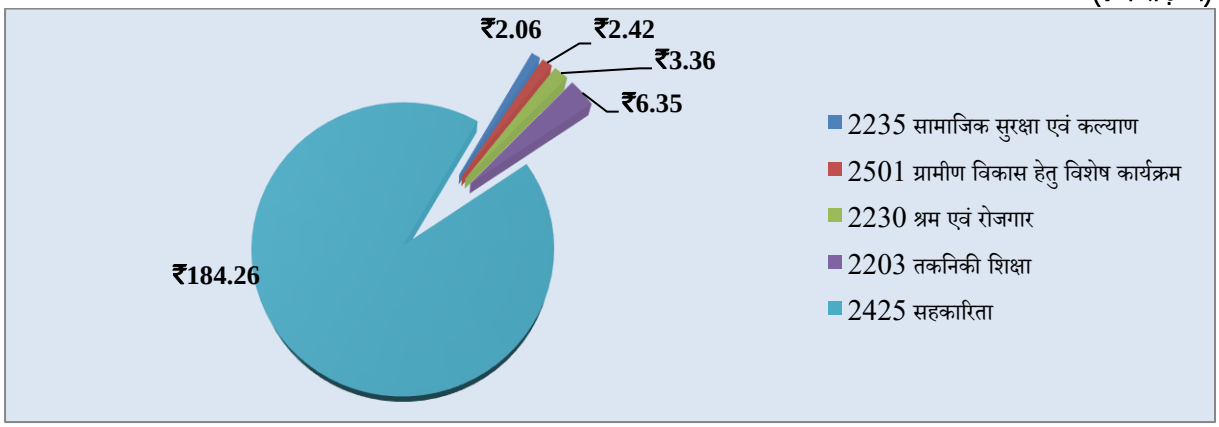

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित जानकारी)

वर्ष 2019–20 तक लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों की वर्ष–वार जानकारी तालिका 4.4 में दिया गया है।

तालिका 4.4 : संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक देयकों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		योग (वृद्धि)		निकासी		अंतः शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष 2017–18 तक	115	25.19	1,387	3,846.56	1,342	3,738.80	160	132.95
2018–19	160	132.95	911	1,304.50	783	1,252.80	288	184.65
2019–20	288	184.65	277	3,275.53	250	3,258.59	315	201.59

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित जानकारी

31 मार्च 2020 की स्थिति में, ₹201.59 करोड़ के 315 विस्तृत आकस्मिक देयक लंबित है, जिसमें से 19 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹0.23 करोड़), 96 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹1.14 करोड़) एवं 200 विस्तृत आकस्मिक देयक (₹200.22 करोड़) क्रमशः 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 से संबंधित है ।

निर्धारित समय के भीतर विस्तृत आकस्मिक देयक न जमा किया जाए तो यह न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन करता है, बल्कि बर्बादी/गबन/दुरूपयोग की संभावना को भी बढावा देती है। अतः विस्तृत आकस्मिक देयकों के प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को करीब से निगरानी की आवश्यकता है। विस्तृत आकस्मिक देयकों की अप्राप्ति

की सीमा तक, वित्तीय लेखों में दर्शाये गए व्यय को सही एवं अंतिम नहीं माना जा सकता है।

4.4 लेखाओं के सामयिकता एवं गुण

राज्य शासन के लेखायें 28 जिला कोषालयों, 53 वन मंडलों, 29 ग्रामीण अभियांत्रिक सेवायें तथा 155 अन्य मंण्डलों[2] द्वारा दी गयी प्रारंभिक लेखों से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित की जाती है ।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, मासिक लेखों के प्रतिपादन में कोषालयों द्वारा 01 से 15 दिन, लोक कार्य मंडल द्वारा 01 से 80 दिन एवं वन मण्डल द्वारा 01 से 20 दिन तक का विलंब था ।

राज्य शासन को इसकी ध्यान से परिवीक्षा करने की आवश्यकता है कि, जितने भी लेखा प्रतिपादित करने वाले प्राधिकरण है, इनके बजट को और भी प्रभावी ढंग से संचलित करने हेतु, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को नियत समय पर यह लेखायें प्रतिपादित करें ।

4.5 उचंत एवं ऋण जमा प्रेषण शीर्षों मे बकाया शेष

वैसे लेन–देन जिन्हें समापक लेखा शीर्षों मे किसी अन्य कारण से प्रारंभ मे नहीं दर्ज किया जा सकता है, शासकीय लेखों में प्रतिबिंबित करने हेतु उचंत शीर्षों का संचालन किया जाता है । जब यह राशि समापक लेखा शीर्षों में दर्ज किया जाता है तब अंततः इन्हें ऋणात्मक डेबिट या ऋणात्मक क्रेडिट द्वारा निष्पादित किया जाता है । यदि उचंत शीर्षों के अंतर्गत राशि असमायोजित रह जाती है तो इन शीर्षों के अंदर शेष राशि जमा होने के कारण शासन की प्राप्तियॉ एवं भुगतानों को कम दर्शाता है ।

प्रेषण में उन सभी लेन–देनों को शामिल किया जाता है, जो लेखा शीर्षों से समायोजित है, तथा इन शीर्षों के अंतर्गत आने वाले डेबिटों अथवा क्रेडिट को उसी लेखा मंण्डली अथवा अन्य में उसके तत्स्थानी डेबिट अथवा क्रेडिट के द्वारा निस्पादित किया जाता है ।

वित्तीय लेखें, उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत निवल शेष को दर्शाते है । इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों मे अलग से बकाया डेबिट एवं क्रेडिट को समेकित कर परिणाम निकाला जाता है । उचंत एवं प्रेषण मदों को निष्पादन राज्य कोषालयों/कार्य एवं वन मण्डल इत्यादि के द्वारा प्रस्तुत की गयी जानकारी पर निर्भर करता है । विगत तीन वर्षों के प्रमुख उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के समग्र आंकडों की स्थिति **तालिका 4.5** में दी गयी है ।

तालिका 4.5: उचंत एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष 8658–उचंत–लघु शीर्ष	2017–18		2018–19		2019–20	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
101–वेतन एवं लेखा कार्यालय–उचंत	54.38	0.14	52.55	18.83	67.35	19.50
निवल	**नामे 54.24**		**नामे 33.72**		**नामे 47.85**	
102–उचंत लेखा (सिविल)	19.26	0.98	32.44	0.17	30.81	0.17
निवल	**नामे 18.28**		**नामे 32.27**		**नामे 30.64**	
109–रिजर्व बैंक उचन्त–मुख्यालय	(–)0.67	(–)0.08	2.61	3.02	0.03	0.68
निवल	**जमा 0.59**		**जमा 0.41**		**जमा 0.65**	
110–रिजर्व बैंक उचन्त–केन्द्रीय लेखा कार्यालय	0.14	0.00	1.72	0.00	3.57	0.01
निवल	**नामे 0.14**		**नामे 1.72**		**नामे 3.56**	
112–स्त्रोत पर कर कटौती उचंत	0.00	84.04	0.00	65.08	0.00	71.10
निवल	**जमा 84.04**		**जमा 65.08**		**जमा 71.10**	
113–भविष्य निधि उचंत	42.58	0.00	46.08	0.00	44.35	0.00
निवल	**नामे 42.58**		**नामे 46.08**		**नामे 44.35**	

[2] 53 लोक निर्माण संभाग, 62 सिंचाई संभाग(जल संशाधन विभाग), 36 लोक स्वास्थ्य यंत्रिकि संभाग तथा चार सड़क विकास संभाग

123–अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	0.00	0.17	0.00	0.16	0.00	0.19
निवल	**जमा 0.17**		**जमा 0.16**		**जमा 0.19**	
129–सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखा	0.00	85.40	0.00	84.11	0.00	84.11
निवल	**जमा 85.40**		**जमा 84.11**		**जमा 84.11**	
मुख्य शीर्ष 8782–नगद प्रेषण						
102–लोक निर्माण प्रेषण	18.29	11.50	112.34	9.13	74.83	42.43
निवल	**नामे 6.79**		**नामे 103.21**		**नामे 32.40**	
103–वन प्रेषण	10.84	7.11	37.83	5.22	36.20	5.44
निवल	**नामे 3.73**		**नामे 32.61**		**नामे 30.76**	

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित जानकारी

यदि इन उचंत शीर्षों में राशियॉ असमायोजित रहती है तो इन शीर्षों के अंतर्गत शेष जमा हो जाते है जिसके कारण शासन की प्राप्तियॉ एवं भुगतानों को कम दर्शाया जाता है । आगे, इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष का गैर निस्तारण, राज्य शासन की प्राप्तियॉ/व्ययों के आंकड़ों की परिशुद्वता एवं विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत शेषों (जो कि वर्ष प्रतिवर्ष अग्रेनीत होता है) को प्रभावित करता है ।

4.6 व्यक्तिगत जमा खातें

विशिष्ट परिस्थितियों मे, शासन नामित प्रशासकों को संचालन हेतु व्यक्तिगत जमा खातों को खोलने के लिये अधिकृत कर सकते है । व्यक्तिगत जमा खातों से निधियों का हस्तांतरण सेवा मुख्य शीर्ष के अंतर्गत राज्य के संचित निधि में व्यय के रूप में दर्ज की जाती है । कोषालय संहिता भाग.–एक के अंतर्गत नियम 543 के अनुसार, प्रशासकों का ऐसे खातें वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर बंद करने तथा व्यय नहीं किये गये शेष राशि को वापस संचित निधि में हस्तांतरित करने की अवश्यकता है ताकि अगले वर्ष यदि आवश्यकता हो तो व्यक्तिगत जमा खातों को पुनः खोला जा सके, हालॉकि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यह प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया ।

वर्ष 2015–20 के दौरान वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस पर व्यक्तिगत जमा खातों में रखें निधियों की स्थिति **तालिका 4.6** प्रदान करता है ।

तालिका 4.6: वर्ष 2015–20 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में निधियों का रखा जाना ।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1 अप्रेल को प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान परिग्रहितियों/प्राप्तियॉ		वर्ष के दौरान संवृतियॉ/संवितरण		31 मार्च को जमा शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2015–16	312	1,630.82	05	669.18	25	603.54	292	1,696.46
2016–17	292	1,696.46	08	918.64	19	722.63	281	1,892.47
2017–18	281	1,892.47	02	643.80	20	779.27	263	1,757.00
2018–19	263	1,757.00	02	508.61	34	374.51	231	1,891.10
2019–20	231	1,891.10	निरंक	272.05	08	577.89	223	1,585.26

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित जानकारी)

तालिका 4.6 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2015–16 से वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 17 व्यक्तिगत जमा खातें खोले गये थे एवं 106 खातों को बंद किया गया । 31 मार्च 2020 की स्थिति में 223 व्यक्तिगत जमा खातें संचालन में थें तथा जिसका अंतःशेष की राशि ₹1,585.26 करोड़ रहा । राज्य शासन ने ₹0.27 करोड़ की राशि मुख्य शीर्ष 2056 से आहरण किया गया तथा उन्हें व्यक्तिगत जमा खातों में जमा करवा दिया, जिनकी जानकारी **तालिका 4.7** में दर्शाया गया है । वित्तीय वर्ष के अंत में इस तरह का हस्तांतरण दिखाता है कि यह बजटीय अनुमान के व्यपगत होने को रोकने हेतु किया गया था।

तालिका 4.7 : मार्च 2020 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में हस्तांतरित राशि का विवरण

क्र.सं.	प्रबंधक	मुख्य शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
1.	निरीक्षक, केंन्द्रीय कारागार, बिलासपुर	2056	0.27
योग			**0.27**

व्यक्तिगत जमा खातों मे व्यय नहीं किये गये शेष राशियों का राज्य के संचित निधि में गैर–हस्तांतरण, लोक निधि का दुरूपयोग, दुर्विनियोग, गबन के जोखिम पर जोर देता है। आगे, विभागीय अधिकारियों ने महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ द्वारा अनुरक्षित शेषों का सत्यापन/पूनः मिलान नहीं किया।

4.6.1 व्यक्तिगत जमा खाते में भू–अर्जन की निधि

कुल शेष की राशि ₹ 1,585.26 करोड़ में से भू–अर्जन की राशि ₹ 1,280.15 करोड़ संबंधित लाभार्थियों को वितरण न होने के कारण व्यक्तिगत जमा खाते मे पड़ी रही । भू–अर्जन से संबंधित अवितरित राशि का कोषालय–वार विवरण **तालिका–4.8** में दर्शाया गया है ।

तालिका 4.8: व्यक्तिगत जमा खाते में भू–अर्जन से संबंधित राशि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कोषालय का नाम	भूमि अधिग्रहण से संबंधित राशि
1	बिलासपुर	355.37
2	रायपुर	259.89
3	रायगढ़	186.14
4	जांजगीर–चांपा	78.73
5	अबिंकापुर	65.78
6	बलरामपुर	51.79
7	गरियाबंद	42.07
8	कोरबा	41.44
9	जगदलपुर	35.90
10	राजनांदगॉव	34.74
11	महासमुन्द	29.22
12	कबीरधाम	13.48
13	जशपुर	13.40
14	कोरिया	12.94
15	सुरजपुर	11.21
16	कांकेर	10.90
17	दुर्ग	6.79
18	कोण्डागॉव	6.61
19	दंतेवाडा	6.44
20	बलोदाबाजार	5.30
21	धमतरी	4.81
22	मुंगेली	4.54
23	बेमेतरा	2.48
24	बीजापुर	0.18
योग		**1,280.15**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित जानकारी

4.6.2 असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते

व्यक्तिगत जमा लेखे जिसमें तीन वर्षों तक लगातार कोई संव्यवहार न हुआ हो के मामले में कोषालय आधिकारी द्वारा खाते के प्रशासक को सूचना देते हुए खाता को बंद किया जाना चाहिए एवं खाते की शेष राशि राजस्व जमा में स्थानांतरित करने की कार्यवाही की जाए।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि कुल 223 व्यक्तिगत जमा खातों में 11 व्यक्तिगत जमा खातों का कुल अंतिम शेष राशि **₹ 0.96 करोड़** था जो कि 31 मार्च 2020 की स्थिती में तीन वर्षों से अधिक तक असंचालित रहा। हालॉकि इन लेखाओं को बंद करने हेतु संबंधित कोषालय अंधिकारियों के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई ।

4.7 केन्द्रीय सड़क निधि से संबंधित लेन–देन के लेखाएँ

केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ) से संबंधित लेखांकन प्रक्रिया मुख्य और लघु शीर्षों के सूची के अंतर्गत निर्धारित है । वर्तमान लेखा प्रक्रिया के संदर्भ में अनुदानों को शुरू में मुख्य शीर्ष '1601 सहयता अनुदान' के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है, और राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष '3054 सडक एव पुल' के प्रतिपक्षी डेबिट द्वारा एक समतुल्य राशि लोक लेखा के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष '8449–अन्य जमा – 103 कन्द्रीय सडक निधि से वित्तीय सहायता' में हस्तांतरित कर दी जाती है ।

केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त निर्धारित पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार 2019–20 के दौरान केन्द्रीय सडक निधि से ₹ 371.61 करोड़ जारी किये, जिसमें से मात्र ₹ 198.55 करोड़ राज्य शासन द्वारा लोक लेखा के '8449–अन्य जमा – 103 केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता' में हस्तांतरित किया गया था ।

4.8 राज्य के संचित निधि अथवा लोक लेखों से बाहर रखे गये निधि

सरकारी विभाग द्वारा संग्रहित श्रम उपकर छ.ग. समेकित निधि जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत आवश्यक है, में प्रेषण न करते हुए सीधे मुख्य शीर्ष– 8443 सिविल जमा – 108 लघु शीर्ष लोक निर्माण जमा में दर्ज किया गया है। जबकि लघु शीर्ष लोक निर्माण जमा का कोई उप–शीर्ष नहीं होने के कारण श्रम कल्याण मण्डल में जमा राशि को पृथक करना संभव नहीं है।

4.8.1 श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अभिलेखों के नमूना जॉच में पाया गया कि विभिन्न संस्थाओं द्वारा संग्रहित उपकर चेकों/धनादेशों के माध्यम से मण्डल को भेजा गया या इसी उद्देश्य के लिए खोले गए मण्डल के बैंक खाते में जिला श्रम कार्यालयों द्वारा जमा किया गया। अवधि वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 में उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं व्यय की स्थिति का विवरण **तालिका 4.9** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 4.9: श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति			कुल उपलब्ध राशि	व्यय (स्थापना व्यय सम्मिलित)	अंतः शेष
		पंजियन शुल्क एवं अन्य प्राप्तियॉं	मण्डल के खाते में प्राप्त श्रम उपकर	जमा पर ब्याज			
2017–18	282.49	0.22	185.93	13.91	482.55	209.10	273.45
2018–19	273.45	0.95	199.71	19.99	494.10	193.57	300.53
2019–20	300.53	9.93	163.62	21.81	495.89	115.09	380.80

स्रोतः छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा सूचना से संकलित

वर्ष 2019–20 के दौरान कुल व्यय ₹115.09 करोड में से बोर्ड द्वारा ₹112.62 करोड़ (97.85 प्रतिशत्) कल्याणकारी याजनाओं पर, और ₹2.47 करोड़ (2.15 प्रतिशत्) स्थापना शुल्क पर व्यय किया है।

राज्य शासन द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण कोष से लाभार्थियों के लिये विभिन्न योजनाओं/कार्यकलापों जैसे कि मातृत्व लाभ, भवनों के निर्माण के लिए अग्रिम, अंतिम संस्कार हेतु सहायता, चिकित्सा सहायता, रसोई गैस एवं चूल्हे का वितरण इत्यादि का संचलान किया है । वर्ष 2016–17 से वर्ष 2019–20 की अवधि के दौरान इन योजनाओं पर की गयी व्यय की जानकारी **तालिका 4.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.10: उपलब्ध निधि का योजनाओं पर व्यय

वर्ष	उपलब्ध राशि (₹करोड़ में)	संचालित योजना		योजनाओं पर वास्तविक व्यय (₹करोड़ में)	वर्ष के अंत में पंजीकृत श्रमिक	लाभान्वित श्रमिक	प्रतिशत		
		संख्या	आवंटन (₹करोड़ में)				लाभान्वित श्रमिक	आवंटित धन के विरूद्ध व्यय	उपलब्ध धन के विरूद्ध व्यय
2016–17	466.41	36	273.13	180.83	10,13,018	9,57,190	94.49	66.21	38.77
2017–18	482.55	36	308.38	202.66	14,13,021	4,82,901	34.17	65.72	42.00
2018–19	494.10	27	342.51	166.98	19,17,281	9,92,847	51.78	48.75	33.79
2019–20	495.89	21	367.32	96.57	20,00,567	3,90,818	19.54	26.29	19.47

स्रोतः छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा सूचना से संकलित

मण्डल द्वारा उपलब्ध धन का केवल 19.47 प्रतिशत का उपयोग किया जा सका और वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत केवल 19.54 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिकों को लाभाविन्त किया गया।

उपलब्ध ₹380.80 करोड का धनराशि के उपयोग नहीं होने के कारण, पंजीकृत श्रमिक इन विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो गये।

लेखापरीक्षा नमूना जॉच में पाया गया कि विभागों द्वारा कुल संग्रहित उपकरों (₹33.48 करोड़) में से केवल ₹31.71 करोड़ (पूर्व वर्षों के शेष भी शामिल), मंण्डल को हस्तांतरित किया गया तथा शेष ₹6.66 करोड़ मुख्य शीर्ष 8443–लोक लेखा के अंतर्गत रखा गया। विभाग–वार अल्प हस्तांतरण की जानकारी **तालिका 4.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.11 : श्रम उपकरों का मंडल को विभाग–वार अल्प हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	अल्प हस्तांतरण
लोक निर्माण विभाग	5.22
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रिकि विभाग	0.31
ग्रामीण अभियंत्रिकि सेवाएँ (पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग)	0.25
ग्रामीण विकास संभागों (पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग)	0.88
योग	**6.66**

4.9 लघु शीर्ष –800 में समायोजन

लघु शीर्ष–800 अन्य प्राप्तियाँ एवं अन्य व्यय से संबंधित है को तब क्रियाशील करना है जब लेखाओं में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध न हो। लघु शीर्ष–800 का सामान्य संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बनाता है और यह योजनाओं कार्यक्रमों आदि का खुलासा (प्रकटीकरण) नहीं करता है, जिससे यह संबंधित है।

कुल 41 राजस्व मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दर्ज राजस्व प्राप्तियॅा ₹3,447.19 करोड़ (वर्ष 2019–20 के दौरान कुल राजस्व प्राप्तियॅा ₹63,868.70 करोड़ का 5.40 प्रतिशत) को लघु शीर्ष–800 अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। आगे, 15 मुख्य लेखा शीर्षों (राजस्व प्राप्तियों) के तहत कुल प्राप्तियों ₹450.28 करोड़ में से ₹450.63 करोड़ (100 प्रतिशत) शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे। लघु शीर्ष की प्राप्तियाँ संबंधित मुख्यशीर्ष के अंतर्गत कुल राजस्व प्राप्तियों की 52.38 से 106.46 प्रतिशत थी। विवरण **परिशिष्ट 4.3** में दिया गया है।

इसी प्रकार, 34 राजस्व शीर्षों तथा 12 पूँजीगत शीर्षों के अंतर्गत व्यय ₹ 976.82 करोड़ (वर्ष 2019–20 के दौरान कुल व्यय ₹82043.70 करोड़ का 1.19 प्रतिशत) को लघु शीर्ष–800 अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। नौ मुख्य लेखा शीर्षों (राजस्व और पूंजी) के ₹603.64 करोड़ की राशि, जो कुल व्यय ₹837.97 करोड़ का 72.04 प्रतिशत है, इन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत, 800–अन्य व्यय के तहत वर्गीकृत किए गए थे। इस तरह का व्यय संबंधित शीर्ष के तहत कुल व्यय का 52 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच था, अनुपयुक्त वर्गीकरण को प्रतिबिंबित करता है जैसा कि **परिशिष्ट–4.4** में दिखाया गया है।

वर्ष 2015–20 के मध्य कुल प्राप्तियों एवं व्यय की तुलना में प्राप्ति एवं व्यय के लिये लघु शीर्ष –800 का परिचालन प्रतिशत् के रूप में **चार्ट 4.3** एवं **4.4** में दर्शाया गया ।

चार्ट 4.3 : वर्ष 2015–20 के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों का संचालन

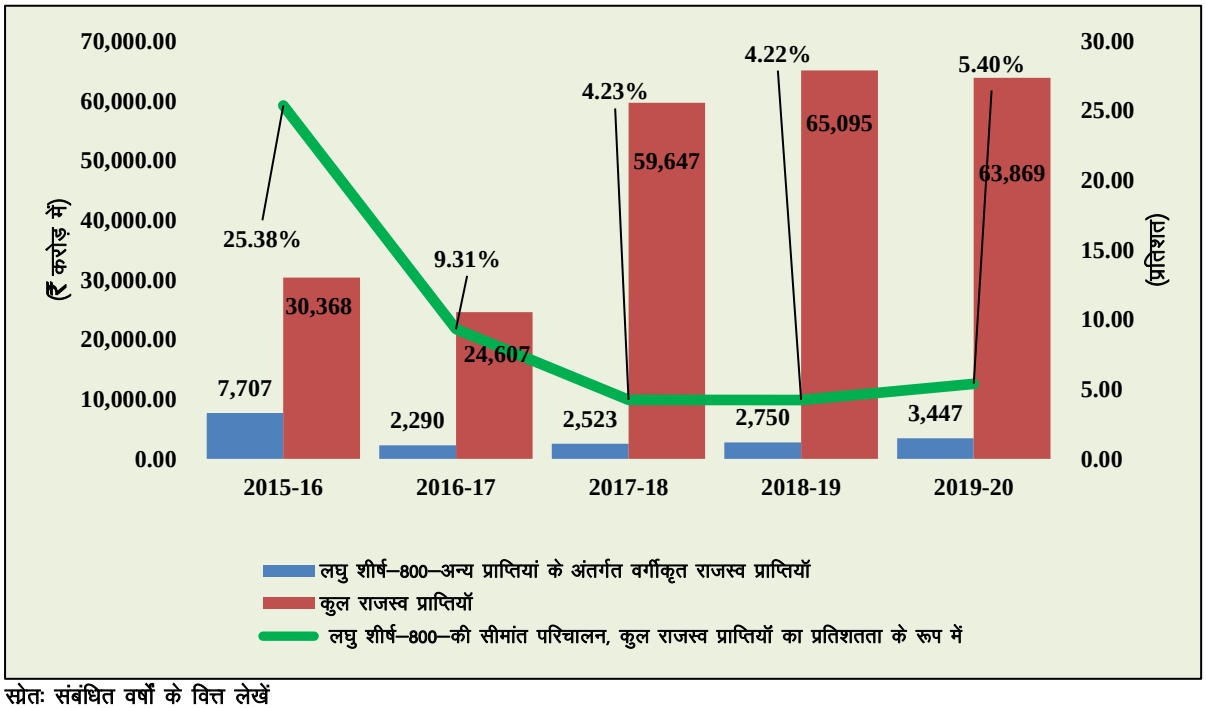

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखें

चार्ट 4.4: वर्ष 2015–20 के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय का संचालन

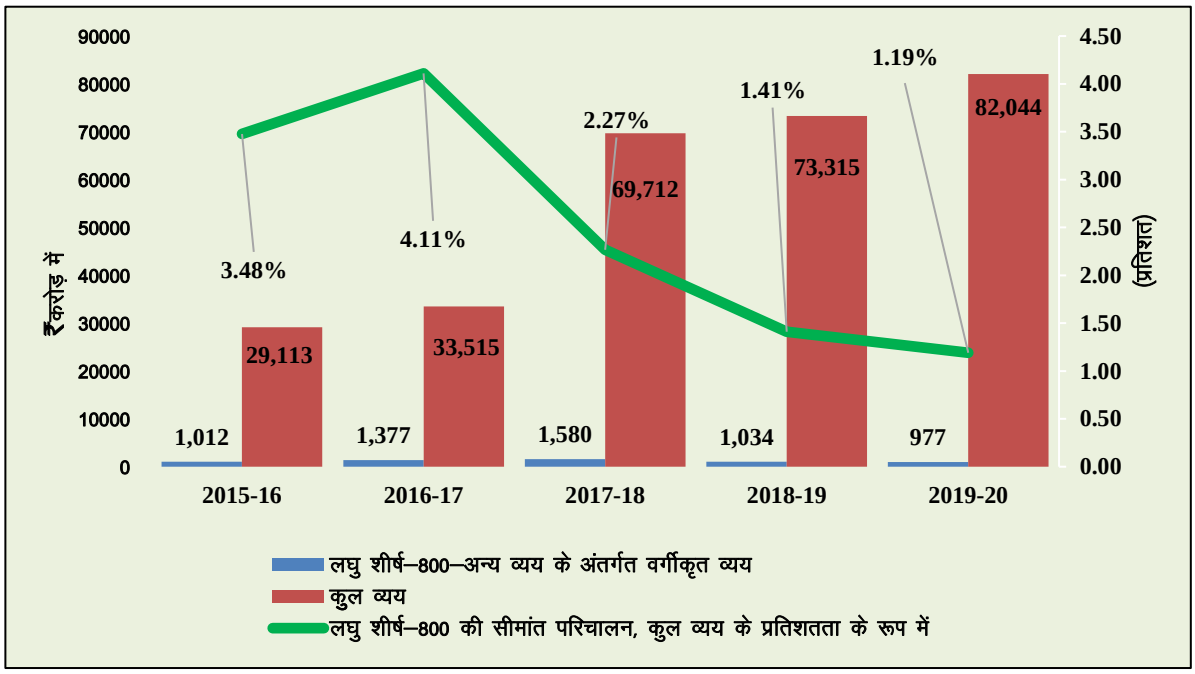

स्रोतः संबंधित वर्षों के वित्त लेखें

इस विषय को राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रत्येक वर्ष दिखाया जाता है । वर्ष 2019–20 के दौरान 5.40 प्रतिशत गत वर्ष 4.22 प्रतिशत के तुलना में लघु शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत प्राप्तियों में अल्प वृद्धि हुई है । जबकि व्यय की तरफ यह वर्ष 2018–19 में 1.41 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2019–20 में कम होकर 1.19 प्रतिशत हो गई। तथ्य यह है कि पर्याप्त मात्रा में प्राप्तियों एवं व्यय का वर्गीकरण संबंधित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज करना एक गंभीर चिंता की बात है, क्योंकि यह लेखों की पारदर्शिता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।

4.9.1 रायल्टी का अनिर्दिष्ट लेखा शीर्ष मे दर्ज किया जाना

संघ एवं राज्य के मुख्य एवं लघु लेखो शीर्षों की सूची के अनुसार खानों से प्राप्त रॉयल्टी का वर्गीकरण मुख्य शीर्ष 0853 अलौह खनन और धातुक्रम उद्योग–लघु शीर्ष 102–खनीज रियायत शुल्क, किराये और रॉयल्टी में होना चाहिए।

मुख्य एवं लघु शीर्ष 0853–800 के चालानों के नमूना जॉच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2019–20 में मुख्य शीर्ष 0853–800 के अंतर्गत ₹1,386.47 करोड़ की कुल राजस्व प्राप्ति के सामने ₹1.85 करोड़ की प्राप्त रॉयल्टी को लघु शीर्ष –102–खनिज रियायत,शुल्क,किराये और रॉयल्टी की जगह जैसा कि लेखाओं की मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची में निर्धारित है लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्ति में दर्ज किया गया। विस्तृत जानकारी **तालिका 4.12** मे दर्शायी गई है।

तालिका 4.12 : राजस्व प्राप्तियों का लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत गलत वर्गीकरण की जानकारी

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	कोषालय/बैंक का नाम	प्रकरणों की संख्या	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत गलत तरीके से दर्ज कुल प्राप्तियॉं
1	रायपुर	89	0.51
2	मुंगेली	2	0.41
3	बैकुण्ठपुर	18	0.36
4	राजनांदगॉव	5	0.32
5	कोण्डागॉव	4	0.08
6	रायगढ़	4	0.06
7	धमतरी	2	0.04

8	बलौदाबाजार	3	0.03
9	कोरबा	12	0.03
10	बेमेतरा	1	0.01
11	केशकाल	2	#0.00
12	जगदलपुर	1	*0.00
योग		**143**	**1.85**

स्रोत : कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकडे

 # ₹34,932.00 और * ₹21,935.ण00

छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन विभाग के आदेश (अक्टूबर 2012) के साथ पठित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 56(2) कहती है कि कुल रॉयल्टी राजस्व का 33 प्रतिशत् पंचायत एवं ग्रामिण विकास विभाग को एवं शेष कुल रॉयल्ठी राजस्व का 67 प्रतिशत् संबंधित पंचायत, जनपद पंचायत को संवितरित किया जाना चहिए। उपर्युक्त कही हुई प्रावधान को ध्यान में रखते हुए मुख्य शीर्ष 0853 (गैर अलौह खनन और धातु कर्म उद्योग) के अंतर्गत लघु शीर्ष 102 (खनीज रियायत शुल्क,किराय और रॉयल्टी) का गलत वर्गीकरण लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों में होने के कारण ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत को हुई पर्याप्त राजस्व की हानि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

4.10 विभागीय आंकड़ों का मिलान नहीं किया जाना

वित्तीय नियमों के अनुसार नियंत्रक अधिकारियों के लेखा पुस्तकों में दर्ज प्राप्तियॉ एवं व्यय का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की लेखा पुस्तकों मे दर्ज प्राप्तियॉ एवं व्यय से वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह उनके द्वारा किया जाना चाहिए। यह नियंत्रक अधिकारियों को व्ययों पर प्रभावी नियंत्रण एवं बजटीय आवंटन का कुशल प्रबंधन तथा उनके लेखों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्तियों का 85.74 प्रतिशत् तथा व्ययों का 53.60 प्रतिशत् का मिलान किया गया, जबकि वर्ष 2018–19 के लिये यह आंकड़े प्राप्तियों का 32.84 प्रतिशत् तथा व्ययों का 56.53 प्रतिशत था।

तीन वर्षों की अवधि वर्ष 2017–20 के दौरान नियंत्रक अधिकरीयों के द्वारा प्राप्तियों एवं व्ययों के आंकडों के मिलान की स्थिति **चार्ट 4.5** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.5 : तीन वर्षों की अवधि वर्ष 2017–20 के दौरान मिलान की स्थिति

(₹करोड़ में)

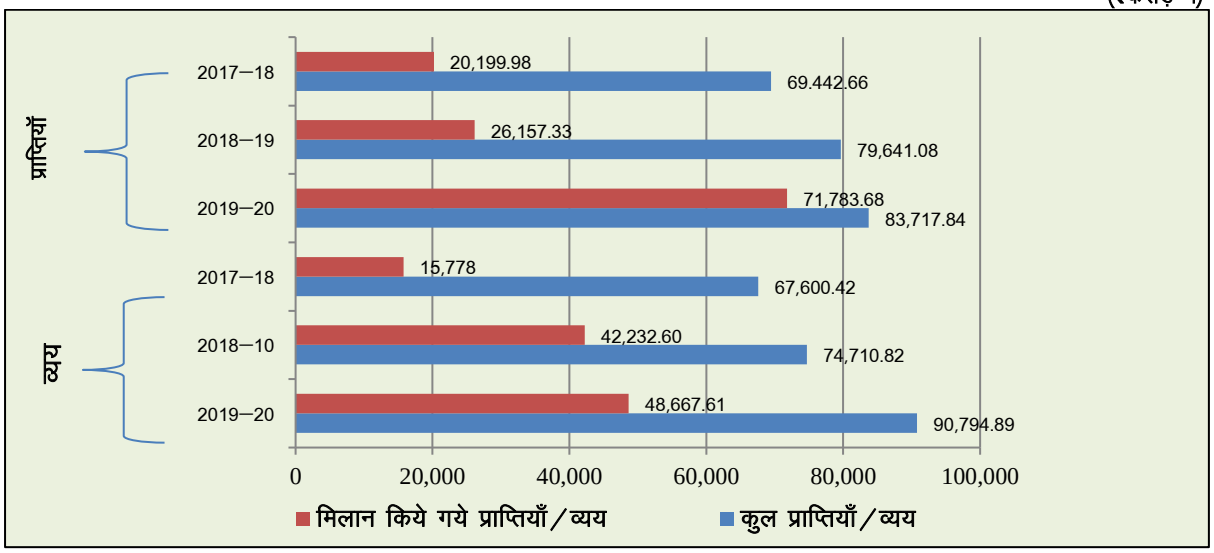

स्रोत : कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़ द्वारा संकलित आंकडे

विगत तीन वर्षों के दौरान नियंत्रक अधिकारियों की संख्या एवं मिलानों से संबंधित जानकारी **तालिका 4.13** में दिया गया है ।

तालिका 4.13: प्राप्तियाँ एवं व्ययों के आंकडों के मिलान के स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	नियंत्रक आधिकारियों की संख्या	पूर्ण मिलान	अपूर्ण मिलान	मिलान नहीं किया गया	कुल प्राप्तियॉं/व्यय	मिलान की गयी प्राप्तियाँ/व्यय	मिलान प्रतिशत
प्राप्तियॉं							
2017–18	40	12	00	28	69,442.66	20,199.98	29.09
2018–19	40	13	00	27	79,641.08	26,157.33	32.84
2019–20	40	14	14	12	83,717.84	71,783.68	85.74
व्यय							
2017–18	94	24	01	69	67,600.42	15,778.00	23.34
2018–19	94	44	20	30	74,710.82	42,232.60	56.53
2019–20	94	19	39	36	90,794.89	48,667.61	53.60

स्रोत : कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), रायपुर द्वारा संकलित आंकडे

आंकडों का मिलान एवं सत्यापन वित्तीय प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण साधन है। कोडल प्रावधानों एवं कार्यपालक निर्देशों के उपयोग/पालन में असफलता को कारण ना केवल प्राप्तियॉं एवं व्ययों की गलत वर्गीकरण तथा गलत बुकिंग होती है बाल्कि बजटीय प्रक्रिया की उद्देश्य को भी मात देती है।

4.11 रोकड़ शेष का मिलान

31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की लेखा पुस्तकों के अनुसार राज्य शासन के रोकड़ शेष तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार रोकड़ शेष में ₹ 8.96 करोड़ (शुद्ध क्रेडिट) का अन्तर था। यह अंतर प्रत्यायित बैंक द्वारा केंद्रिय लेखा अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर जिसकी जिम्मेदारी राज्य शासन के रोकड़ शेष की रख–रखाव की है, को गलत जानकारी प्रस्तुत किये जाने के कारण है।

4.12 भारत सरकार के लेखांकन मानकों के साथ अनुपालन

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2002 में सरकारी लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड का गठन किया था, जो सरकारी लेखांकन तथा वित्तिय रिपोर्टिंग के मामलों को लेखांकन प्रक्रिया को बेहत्तर बनाने हेतु तैयार कर रहा है। मार्च 2020 के अंत तक तीन भारतीय लेखांकन मानकों को अधिसूचित किया गया है। इन मानकों का विवरण तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इन मानकों उनके वर्ष 2019–20 के वित्तीय विवरण में अनुपालन **तालिका 4.14** में किया गया है।

तालिका 4.14: भारत सरकार के लेखांकन मानकों का अनुपालन

भारत सरकार के लेखांकन मानकों (भा.स.ले.मा)	भारत सरकार के लेखांकन मानकों के सार	स्थिति	गैर अनुपालन के प्रभाव
भा.स.ले.मा–1 सरकार द्वारा प्रत्याभुति (गारंटी)–प्रकटीकरण आवश्यकता	इस मानक की आवश्यकता है कि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष में दिये गये अधिकतम प्रत्याभुतियों को परिग्रहितियेा, विलोपन, लागू किया, खारिज तथा बकाया के साथ उनके वित्तीय विवरण में प्रकट करें।	अनुपालन किया गया	राज्य शासन ने अंतिम लेखों मे वर्ष 2019–20 के दौरान दिये गये अधिकतम प्रत्याभूतियो परिग्रहितियेा, विलोपन, लागू किया, खारिज तथा बकाया के साथ मार्च 2020 तक प्रकट किया है।

भा.स.ले.मा–2 सहायता अनुदानों का लेखांकन एवं वर्गीकरण	सहायता अनुदानों को प्रदाता के लेखों में राजस्व व्यय एवं अनुदेयी के लेखों मे राजस्व प्राप्ति के रूप में, उनकी अंतिम उपयोग के निरपेक्ष वर्गीकृत किया जाये।	अनुपालन नही किया गया	राज्य शासन ने बजटीय प्रावधान बनाया एवं ₹1,936.61 करोड़ के सहयता अनुदान को बिना महालेखाकार के सहमती प्राप्त किये, पूँजीगत श्रेणी में रख दिया । वर्ष में देय सहायता अनुदानों के प्रकार की कोई सूचना भी नहीं प्रस्तुत किया। अनुपालन नहीं किये जाने के कारण राजस्व घाटा को कम एवं पूंजीगत व्यय को बढाकर दर्शाया गया।
भा.स.ले.मा–3 सरकार द्वारा बनाए गये ऋण एवं अग्रिम	यह मानक शासन के द्वारा उनके वित्तीय विवरण में दिये गये लोन एवं अग्रिमों से सम्बंधित मान्यता, माप, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग को पूर्ण, परिशुद्ध एवं एकरूपीया लेखांकन प्रथा को सुनिश्चित करने से सम्बंधित है।	अनुपालन किया गया	इस मानक मे उल्लेखित सभी प्रकटीकरण को वित्तीय लेखों में शामिल किया गया है। अतिरिक्त प्रकटीकरण से सम्बंधित सूचना जैसे कर ऋणों के बकाया राज्य शासन द्वारा निर्धारित भारत सरकार के लेखांकन मानक–3 के प्रारूप में प्राप्त किये जा चुके है।

4.13 स्वायत्त निकायों के लेखा/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण की स्थिति

राज्य शासन ने विभिन्न स्वायत्त निकाय स्थापित किये है, जिसमें से केवल चार स्वायत निकायों का लेखापरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को न्यासित किया गया है। सितम्बर 2020 में सौंपे गये स्वायत्त निकाय की लेखापरीक्षा तथा लेखों की लेखापरीक्षा, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का विवरण **तालिका 4.15** में प्रदर्शित है।

तालिका 4.15: लेखों को जमा करने की स्थिति

क्र. सं.	निकाय का नाम	अनुभाग	सौपे जाने की अवधि	जिस वर्ष लेखों को प्रदान किया गया	एस.ए.आर. की स्थिति	लेखों के प्रतिपादन में देरी (माह)
01	कैम्पा निधि, छत्तीसगढ राज्य	20(1) डीपीसी एक्ट 1971	2014–15 से आगे	2016–17	वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को जारी किया गया।	30 (2017–18) 18 (2018–19) 06 (2019–20)
02	छत्तीसगढ राज्य एवं जिला कानून सेवा अभिकरण	19(2) डीपीसी एक्ट 1971	2009 और उससे आगे	2012–13 से 2014–15	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को जारी किया गया।	54 (2015–16) 42 (2016–17) 30 (2017–18) 18 (2018–19) 06 (2019–20)
03	छत्तीसगढ राज्य आवास मंडल	19(3) डीपीसी एक्ट 1971	2007–08 से 2011–12	2007–08 से 2011–12	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को जारी किया गया।	2011–12 के बाद न्यासित नहीं किया गया।
04	छत्तीसगढ़ अचल संपत्ति नियामक प्राधिकरण	19(2) डीपीसी एक्ट 1971	2019–20 से आगे	2019–20[3]	..	06 (2019–20)

छत्तीसगढ़ अचल संपत्ति नियामक प्राधिकरण के खातों का लेखा परीक्षा अचल संपत्ति (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (मार्च 2016) के अधिनियमित होने के तीन वर्ष बाद, डीपीसी एक्ट 1971 के अनुभाग 19 (2) के अंतर्गत मार्च 2019 को न्यासित किया गया ।

[3] वर्ष 2019–20 के वार्षिक लेख दिनांक 23 अक्टूबर 2020 को प्राप्त हुआ है ।

4.14 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

कंपनी अधिनियम 2013 निर्धारित करता है कि कंपनियों के वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधित वित्तीय वर्ष के समाप्ति के छः माह के अंदर अर्थात सितम्बर माह तक तैयार किया जाना चाहिए । ऐसा न करने पर दोषी कंपनी से संबंधित प्रत्येक अधिकारी को अधिनियम के अधीन भागीदारी बनाती है, जिसके अंतर्गत दण्ड के रूप में एक वर्ष का कारावास या जुर्माना के रूप में ₹50,000 से ₹5,00,000 तक या दोनों हो सकता है। 1 अक्टूबर 2020 तक का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) के लेखे के निस्तारण में प्रगति का विवरण **तालिका 4.16** दर्शाया गया है:–

तालिका:4.16: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की अंतिम रूप देने से संबंधित स्थिति

क. सं.	विवरण	कार्यशील	अकार्यशील	कुल
1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	28	2	30
2	बकाया लेखे वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	27	1	28
3	बकाया लेखे की संख्या	44	3	47
4(अ)	दो से छः वर्षों के बीच बकाया लेखे वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	7	1	8
4(ब)	उपरोक्त सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में बकाया लेखे की संख्या	22	3	25
5(अ)	एक वर्ष तक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की बकाया लेखे की संख्या	20	0	20
5(ब)	एक वर्ष सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में बकाया लेखे की संख्या	22	0	22
7	बकाये का विस्तार (वर्षों में)	1 से 4	1 से 3	1 से 4

स्रोतः– कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचनाओं पर संकलित आंकड़े

राज्य शासन 14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उस अवधि में, जिसमे उनके लेखे 31 मार्च 2020 तक लंबित थे, ₹ 17,610.71 करोड़ की बजटीय सहायता (अनुदान एवं आर्थिक सहायता) प्रदान की तथा दायित्व (प्रत्याभुति) स्वीकार किया । इन सार्वजनिक उपक्रमों ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण रूप से उल्लंघन करते हुये अपने विगत एक से चार वर्षों के लेखों को अंतिम रूप प्रदान नहीं किया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट 4.5** मे दिया गया। हालांकि अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कोई भी बजटीय सहयता प्रदान नहीं की गई । इस कारण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 एवं कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित इन सार्वजनिक उपक्रमों के लेखों के प्रमाणीकरण के दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ रहे ।

उपरोक्त कथन इस बात का द्योतक है की प्रशासनिक विभागों, विशेष रूप से वित्त विभाग, चूक करने वाली कंम्पनियां संबंधित अधिनियमों का अनुपालन करती है यह सुनिश्चित करने में विफल रही है।

वित्त विभाग को सभी सा.क्षे.उ के प्रकरणों (जिसके लेखे बकाया हैं) की समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि तर्क संगत अवधि के अंदर लेखे अद्यतन हो और उस सभी प्रकरणों में वित्तीय समर्थन अवरूद्ध करना चाहिए जहां लेखे लगातार बकाया है।

4.15 हानि तथा गबन इत्यादि के प्रकरणों का प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–1 के नियम 22 और 23, यह प्रावधान करता है कि लोक धन के हानि, गबन एवं दुर्विनियोजन के प्रत्येक मामले को महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए। इसके अलावा, संहिता के नियम 24 में यह प्रावधान है कि आग, बाढ़, तूफान, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण भवन, सड़क और पूलों जैसी अचल सम्पत्ति का कोई भी गंभीर नुकसान महालेखाकार को सूचित किया जाना चाहिए। इसके बाद विभागों द्वारा विस्तृत जांच की जाती है और इस तरह के नुकसान की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किए गये उपायों/कार्यवाही की जानकारी दी जाती है।

31 मार्च 2020 की स्थिति में, राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कुल 2,112 लंबित मामलों में से निर्णायक जांच और निपटान के लिए ₹ 125.74 करोड़ की राशि लंबित थी। लंबित मामलों का विभाग–वार तथा श्रेणी–वार विभाजन **परिशिष्ट–4.6** में दिया गया है। मामलों का वर्ष–वार विश्लेषण **परिशिष्ट–4.7** में दिखाया गया है। लंबित मामलों की आयु–रूपरेखा और प्रत्येक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या जैसे चोरी और गबन आदि की **तालिका 4.17** में दी गई है।

तालिका 4.17: हानियों एवं गबनों आदि की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

लंबित प्रकरणों की अवधि				लंबित प्रकरणों की प्रकृति		
वर्षों में	**प्रकरणों की संख्या**	**राशि**		**प्रकरणों की प्रकृति**	**प्रकरणों की संख्या**	**राशि**
0 – 5	258	9,71				
5 – 10	510	91,13		चोरी	138	0.55
10 – 15	262	11,52		सम्पत्ति/सामग्रीयों की हानि	1,904	119.78
15 – 20	203	3,52				
20 – 25	222	4,48		गबन	70	5.41
25 से अधिक	657	5,38		**लंबित प्रकरणों का योग**	**2,112**	**125.74**
योग	**2,112**	**125.74**				

स्रोतः राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रेषित प्रकरण

कुल 2,112 प्रकरण में से वन विभाग तथा शिक्षा विभाग में क्रमशः 524 तथा 39 प्रकरण, जो 25 वर्षों से अधिक लंबित थे। 2,112 प्रकरणों में से 357 प्रकरणों में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) दर्ज हुए है।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि 40 मामलों में, विभिन्न विभागों ने 2019–20 के दौरान ₹8.78 लाख वसूल किया। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–4.8** में है।

4.16 आफ बजट उधार

छत्तीसगढ़ शासन ने सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 6424 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (सी.एच.बी) को कैनरा बैंक से ₹800 करोड़ लोन लेने के लिए प्रत्याभुति दी (2031 तक मान्य)। छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड (सी.पी.एच.सी.एल) को भी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए 10,000 आवासीय मकानों के निर्माण हेतु दो वित्तीय संस्थानों इलाहाबाद बैंक (₹400 करोड़) एवं कैनरा बैंक (₹400 करोड़) से ₹800 करोड़ लोन लेने के लिए प्रत्याभुति दी। आगे, शासन ने राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (सुडा) को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में राज्य शासन के अंश (शेयर) भुगतान हेतु वित्तीय संस्थानों से ₹3,357 करोड़ लोन लेने हेतु ब्लॉक प्रत्याभुति जारी की।

छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विभिन्न जिलों में 6424 आवासीय भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 2019–20 के दौरान कैनरा बैंक से ₹82.58 करोड़ का लोन लिया। इसी तरह, वर्ष 2019–20 के दौरान सी.पी.एच.सी.एल. ने भी पुलिस कर्मचारियों के लिए 10,000 आवासीय मकानों के निर्माण हेतु इलाहाबाद बैंक से ₹54.35 करोड़ एवं कैनरा बैंक से ₹57.33 करोड़ का लोन लिया | आगे सूडा ने भी वर्ष 2019–20 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के कार्यान्वयन में राज्य शासन के अंशदानों (शेयर) के भुगतान के लिए एस.बी.आई. से ₹500 करोड़ का ऋण लिया।

राज्य शासन ने वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 के दौरान लोन के ब्याज हेतु छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को ₹90.77 करोड, सी.पी.एच.सी.एल. को ₹77.90 करोड़ एवं सूडा को ₹13.83 करोड़ जारी किए। इन ईकाइयों द्वारा बैंक को कुल ₹208.10 करोड़ (सी.एच.बीः ₹111.37 करोड़ ब्याज के लिये, सी.पी.एच.सी.एल.: ₹64.69 करोड़ का ब्याज एवं ₹6.42 करोड़ का मूलधन के लिये एवं राज्य शहरी

विकास प्राधिकरणः ₹25.67 करोड़ ब्याज के लिये) का भुगतान किया गया। बजट में ब्याज भुगतान हेतु प्रावधान किया गया था। **तालिका 4.18** में इसका विस्तृत विवरण दिया गया है।

तालिका 4.18: किया गया बजट प्रावधान, जारी राशि एवं बैंक को ईकाईयों द्वारा भुगतान की गई राशि

(₹करोड में)

वर्ष	ईकाइयों का नाम	बजट अनुमान	ईकाईयों को जारी की गई राशि	ईकाईयो द्वारा बैंक को भुगतान की गई राशि
2017–18	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (₹800 करोड़)	0.00	0.00	2.59
2018–19		32.00	0.00	33.63
2019–20		70.00	67.66	50.80
योग		**102.00**	**67.66**	**87.02**
2017–18	छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (₹195 करोड़)	17.25	0.00	0.00
2018–19		3.00	0.00	7.68
2019–20		27.01	23.11	16.61
योग		**47.26**	**23.11**	**24.29**
2017–18	छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	20.00	6.00	5.79
2018–19		34.00	23.60	22.50
2019–20		50.00	48.30	42.83
योग		**104.00**	**77.90**	**71.12**
2017–18	राज्य शहरी विकास प्राधिकरण	0.00	0.00	0.00
2018–19		34.14	0.00	0.00
2019–20		90.00	13.83	25.67
योग		**124.14**	**13.83**	**25.67**

स्रोतः ईकाईयों से प्राप्त जानकारी एवं बजट दस्तावेज

राज्य शासन के वर्ष 2017–18 से वर्ष 2019–20 के बजट दस्तावेजों में ऑफ बजट उधार को नहीं दिखाया गया है। आगे राजकोषिय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार तैयार किये गए राजकोषिय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम प्रकटीकरण में फार्म डी–2 में विवरण के साथ– सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और *स्पेशल परपस व्हेहीकल* (एस.पी.व्ही) द्वारा लिए गए ऋण के लिए राज्य के बजट के भुगतान किए गए पूंजी एवं ब्याज श्रेणी के अंतर्गत राज्य शासन की देनदारियों के घटक को राज्य शासन ने शून्य दिखाया गया है।

4.16.1 लेखापरीक्षा के बाद देयताएँ

तालिका 4.19 राज्य शासन की ओर से राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, एस.पी.व्ही और अन्य समकक्ष साधनों ऑफ बजट उधार लेने के बाद वास्तविक देनदारियों के आकलन को दर्शाया गया है, जिसमें पूँजी और/या ब्याज को 2019–20 के दौरान राज्य बजट से दिया जाना था।

तालिका 4.19: लेखापरीक्षा के बाद देयताएं

(₹करोड में)

विवरण	देयताओं की न्युनोक्ति
1. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल	82.58
2. छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	111.68
3. राज्य शहरी विकास प्राधिकरण	500.00
योग	**694.26**

स्रोतः वित्त लेखे 2019–20

यदि उपर्युक्त ऑफ बजट देनदारियों को ध्यान में रखा जाए तो राज्य वित्त लेखों की देनदारी जो राज्य की वित्त लेखे में ₹78,712.46 करोड़ (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 23.91 प्रतिशत) दिखाई गई है, के सामने वास्तविक देनदारी ₹79,406.72 करोड (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 24.12 प्रतिशत) हो जाएगी।

4.17 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन

वर्ष 2008–09 से राज्य वित्तीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। यद्यपि, छत्तीसगढ़ विधानसभा की लोक लेखा समिति ने अभी तक राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर परिचर्चा नहीं किया (दिसम्बर–2020)।

4.18 निष्कर्ष

राज्य शासन द्वारा विभिन्न निधियों को विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु एक अच्छी राशि दी गई, जिसे बैंक खाता में पार्क कर दिया गया, परिणामस्वरूप इच्छित उपलब्धियाँ जिसके लिए धन दी गई, प्राप्त नहीं की जा सकी।

विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आहरित धनराशि के लिए विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) और डी.सी.सी बिलों को जमा नही करना और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा लेखों को जमा नहीं करना निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन था। यह राज्य शासन के अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों और दोषपूर्ण निगरानी तंत्र को दर्शाता है।

सर्वग्राही लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियाँ (₹3,447.19 करोड़) एवं अन्य व्यय (₹976.82 करोड़) का संचालन में वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित किया एवं आवटंन प्राथमिकताओं और व्यय की सार्थकता का सही विश्लेषण को धूमिल किया।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आकड़ों के साथ राज्य के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई प्राप्तियाँ एवं व्यय का मिलान न किया जाना शासन की कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाता है और लेखों की सटीकता से संबंधित चिंताओं को उठाता है।

छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा ली गई ऋण से संबंधित अपनी देयताओं को अपने बजट में परिलक्षित नहीं किया है।

4.19 अनुशंसाएं

i. राज्य शासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभागों महालेखाकार (लेखा एवं हक) को यू. सी. एवं डी.सी.सी. बिलों को जमा करने से संबंधित निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के साथ निर्धारित समय सीमा का पालन करें। एक प्रभावी निगरानी प्रणाली स्थापित करनें की आवश्यकता है।

ii. खाते प्रस्तुत करने वाली सभी ईकाईयों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण लेखें एवं छुटी हुई / अपूर्ण विवरण को प्रस्तुत करने का निर्देश देने की आवश्यकता है ताकि उच्चंत एवं प्रेषण लेन देनों की समयबद्ध तरीके से निपटान किया जा सके।

iii. राज्य शासन को सर्वोपयोगी लघु शीर्ष 800 के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक) के साथ विचार कर विशिष्ट समय सीमा बनाना चाहिए ताकि लेखापुस्तकों में लेनदेनों के वर्गीकरण हेतु सही लेखा शीर्षो की पहचान हो सकें।

iv. राज्य शासन को बजट प्रस्तुत करते समय अपनी सभी देनदारियों एवं बजट के बाहर ली गई उधारियों को दिखाना चाहिए ताकि उसकी सही वित्तीय अवस्था का अभिमूल्यन हो सकें।

v. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किए जाने की आवश्यकता है एवं शासन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि नियंत्रण अधिकारी महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ अपनी प्राप्तियों एवं व्यय के आकड़ो का निर्धारित अंतरालों पर मिलान करें जिससे सरकारी लेन–देनों का सटीक एवं पारदर्शी लेखांकन हो सके।

रायपुर
दिनांक : 17 JUN 2021

(दिनेश आर. पाटील)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 23 JUN 2021

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक